संख्या:25/2018/813/35-4-2018

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 04 जून, 2018

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिष्द हेतु स्वीकृत 100-100 हैण्डपम्प के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-70/2017/642/35-4-2017 दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित शासनादेश सं0-1/2018/12/35-4-2018 दिनांक 05 जनवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन की औसत दर रू0 45,000/- के आधार पर प्रत्येक मा0 सदस्य, विधान सभा एवं प्रत्येक मा0 सदस्य, विधान परिषद हेतु कुल 50,300 हैण्डपम्पों की रू0 22635.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 5000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तत्पश्चात शासनादेश सं0-09/2018/222/35-4-2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु अवशेष धनराशि रू0 17635.00 लाख अवमुक्त की गई।

2- संदर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत 50,300 हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उपर्युक्त शासनादेश द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैण्डपम्प अधिष्ठापन से सम्बंधित है।

3- इस विषय में स्पष्ट किया जाता है कि जनपद फिरोजाबाद नगर विधान सभा क्षेत्र को छोडते हुए कुल 503 मा0 सदस्यों (403 मा0 सदस्य विधान सभा एवं 100 मा0 सदस्य विधान परिषद) हेतु 50,300 हैण्डपम्पों की स्वीकृति निर्गत की गई, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षत्रों के मा0 सदस्य सम्मिलित है।

4- अतः कृपया तदनुसार मा0 सदस्यों द्वारा संस्तुत सूची के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करा लिया जाये।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या: 25/2018/813(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
6- समस्त उप निदेशक अर्थ एवं संख्या,उ0प्र0।
7- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in